200

पत्रांक–10 / स्थापना व्यय आ0–25 / 2024–25 68/21 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
जामताड़ा।

राँची, दिनांक– 30-9-2024

विषयः– **स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–093–जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–जिला प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुआवजा भुगतान हेतु कुल ₹9,27,200/– (नौ लाख सताईस हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक–130/विधि, दिनांक–08.07.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में MAC Case No.-159/2017 Maimun Bibi Vrs State of Govt. through Deputy Commissioner, Jamtara मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को भुगतान करने हेतु कुल ₹9,27,200/– (नौ लाख सताईस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से अग्रिम के रूप में वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या–28/JCF-02/21-22, दिनांक–24.09.2024 द्वारा प्राप्त कर आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड JMTDAD 007 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गतं वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

PTO

d/all section/sec 10/allotment (lalit)

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

27/IX

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 68/ राँची, दिनांक– 30-9-2024

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/IX/XXIV

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)